कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक,
बिलासपुर रेंज, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)-495001

आदेश

थाना-डोंगरीपाली जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के अप.क्र. 18/26 धारा 20-बी, 29 एनडीपीएस एक्ट की केस डायरी की समीक्षा उपरांत रेंज कार्या. से जारी परिपत्र क्रमांकः 09/2026 के फार्मेट अनुसार कथन लेखबद्ध नहीं करने के संबंध में विवेचक/थाना प्रभारी का स्पष्टीकरण दिनांक 18.07.2026 तक चाहा गया था किन्तु आज दिनांक तक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। विवेचक/थाना प्रभारी के द्वारा वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों का परिपालन नहीं किया जाना अवज्ञा, गंभीर लापरवाही एवं कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः प्रकरण में बरती गई इस लापरवाही, अवज्ञा और कदाचरण के लिये निम्नानुसार दण्ड से दण्डित किया जाता है :-

क्र.	थाना प्रभारी/कायमीकर्ता का नाम व पदनाम	प्रकरण में बरती गई लापरवाही का संक्षिप्त विवरण	दण्ड
1	सउनि भगवती कुर्रे थाना प्रभारी डोंगरीपाली	रेंज कार्या. के परिपत्र 09/2026 के फार्मेट अनुसार कथन लेखबद्ध न कराने और परिपत्र का पालन नहीं कराने के लिये तथा विवेचक की त्रूटि पर ध्यान नहीं देकर लापरवाही बरतने के लिए।	**500/-रू. अर्थदण्ड**
2	सउनि छोटेलाल सिदार (विवेचक) थाना डोंगरीपाली	रेंज कार्या. के परिपत्र 09/2026 के फार्मेट अनुसार कथन लेखबद्ध न कर परिपत्र का पालन नहीं करने के लिए।	**500/-रू. अर्थदण्ड**

श्रीमती संतोषी ग्रेस उ.पु.अ. मुख्यालय सारंगढ़ के द्वारा भी परिपत्र क्र. 09/2026 का थाना स्तर पर पालन किये जाने के संबंध में कोई ध्यान नहीं दिया जाना गंभीर पर्यवेक्षकीय त्रुटि परिलक्षित करता है। अतः मैं **उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सारंगढ़ श्रीमती संतोषी ग्रेस के लिये "अप्रसन्नता"** व्यक्त करता हूँ।

(राम गोपाल गर्ग)
पुलिस महानिरीक्षक,
बिलासपुर रेंज, बिलासपुर

क्रमांक-पुमनि/बिला/रीडर-1/एम- /2026 दिनांक- /09/2026

प्रतिलिपि :-1. पुलिस महानिदेशक छ0ग0 नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

2. पुलिस अधीक्षक, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया ओ.बी.क्रमांक एवं दिनांक से तथा संबंधित की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि से अवगत कराया जावे और दण्ड आदेश का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जावे।

3. निज सहायक, पु.म.नि.कार्या., बिलासपुर रेंज को सूचनार्थ।

3. संबंधितों को उचित माध्यम से सूचनार्थ।

पुलिस महानिरीक्षक,
बिलासपुर रेंज, बिलासपुर